

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बलभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर

खुली बोली के माध्यम से केंद्र के आम बाग के बिक्री की सूचना

उद्यान अनुसंधान केंद्र पत्थरचट्टा के लाट सं0-7 (आम क्षेत्र सं0 12 बी- आयु 7 वर्ष के 2.5 एकड़ प्रक्षेत्र में एवं नर्सरी प्रक्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 10 वर्षीय फलत में आये हुए 52 पौधे सम्मिलित सहित) फसल वर्ष-2021 की बिक्री हेतु दिनांक 11.05.2021 को पूर्वाहन 11:30 बजे खुली बोली के माध्यम से नीलामी की जायेगी।

बागों का विवरण:-

विभाग का नाम	लाट सं0.	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा	लाट सं0-7	आम क्षेत्र सं0 12 बी (आयु 7 वर्ष के 2.5 एकड़ प्रक्षेत्र में) एवं नर्सरी प्रक्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 10 वर्षीय फलत में आये हुए 52 पौधे सम्मिलित सहित	3.25 एकड़

निवादा की शर्तें

- बागों के ठेके की अवधि 31.08.2021 तक होगी।
- ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली-भाँति निरीक्षण कर ले। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
- ठेका लेने के इच्छुक ठेकेदार दिनांक 11.05.2021 को पूर्वाहन 9:00 बजे से पूर्वाहन 11:00 बजे तक केंद्र के कार्यालय में ₹0 10,000.00 का बैंक ड्रापट/नकद धनराशि (नियंत्रक, गोविन्द बलभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम) जमा करके बोली में भाग ले सकते हैं।
- उच्चतम बोलीदाता द्वारा धरोहर धनराशि के रूप में जमा किया गया ₹0 10,000/- के बैंक ड्रापट/नकद धनराशि को छोड़कर अन्य बोलीदाता द्वारा जमा किया गया बैंक ड्रापट/नकद धनराशि बोली समाप्ति के एक सप्ताह पश्चात् लौटा दिया जायेगा।
- सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय में अपनी पार्टी/वेन्डर का अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
- सफल बोलीदाता को बोली की समस्त धनराशि अपने खाते के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी, किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
- सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली की धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किरत) अग्रिम के रूप में निवादा समाप्ति के पश्चात् जमा करना होगा। इस धनराशि में पहले जमा की गयी धरोहर धनराशि ₹0 10,000/- के बैंक ड्रापट/नकद धनराशि को समायोजित नहीं किया जायेगा यदि सफल बोलीदाता द्वारा 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा पहले जमा किये गये धरोहर धनराशि ₹0 10,000/- के बैंक ड्रापट/नकद धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- निवादा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त बोलीदाताओं को अस्वीकृत कर दें।
- कुलपति महोदय द्वारा बोली स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम बोली की धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी। शेष 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पूर्व जमा करनी होगी। इसमें पहले जमा किये गये धरोहर धनराशि ₹0 10,000/- के बैंक ड्रापट/नकद धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा पत्र प्रेषण के दिनांक से 15 दिन में कब्जा नहीं लिया जाता है

तो वह अगले 15 दिन तक 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ बाग का कब्जा ले सकता है। इसके बाद ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा और जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

ठेकेदार को बाग का कब्जा लेने के समय ठेके की उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में अलग से जमा करनी होगी। यह राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम जमा करना होगा। जो केवल भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पीएन०सी० बैंक/यूनियन बैंक, पंतनगर में देय हो तभी बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किया जायेगा। इस बैंक ड्राफ्ट को ठेके की समाप्ति के बाद नियमानुसार ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा। यदि निर्धारित दिनांक तक प्रतिभूति राशि ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की जाती है, तो उस रिस्तेमें ठेकेदार द्वारा 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

10. बोली की समस्त धनराशियाँ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार की जायेगी।
11. जिस ठेकेदार की बोली स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद आदि को सुलझाने के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
13. फलों को केंद्र से बाहर ले जाने/हेतु ठेकेदार को केंद्र कार्यालय से गेट पास प्राप्त करना होगा।
14. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड के साथ बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र के कार्यालय में जमा करना होगा।
15. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के बिक्री पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी।

क्र० सं०	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के बिक्री पटल से बिक्री हेतु दिये जाने वाले फलों की मात्रा	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के ग्रामण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1.	आम	आम क्षेत्र सं० 12 बी-आयु 7 वर्ष के 2.5 एकड़ प्रक्षेत्र में ऐसे नर्सरी प्रक्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 10 वर्षीय फलत में आये हुए 52 पौधे समिलित सहित	आम 250 किं०ग्रा०	100 फल

16. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रु० 100/- के नान ज्यूडिशियल स्टाप्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
17. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपरिस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिह्नित करके ठेकेदार को अवगत करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है तो ठेकेदार से उचित जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्यवक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संरक्षित को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
18. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।

19. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पर्यावरण एवं संतरण बोर्ड पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अन्तर्गत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता होने पर ठेकेदार द्वारा स्वयं सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी।
20. ठेकेदार को बाग की सफाई, फसल सुरक्षा, रोग, कीड़ों से बचाव तथा फलों की तुड़ाई, ढुलाई आदि कार्य स्वयं करने होगे। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फॉटोट्रीनाशक, कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
21. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तों का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमांक: 01 से 20 तक) मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता.....

पूरा नाम.....
पिता का नाम.....
ग्राम एवं पोखरी.....
तहसील..... जनपद.....
पिन..... दूरभाष.....

बोलीदाता के हस्ताक्षर.....



03/08/2021
सूर्यकृत निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र
पर्यावरण एवं संतरण बोर्ड